



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर म0प्र0

निगरानी क्र0 I। निगरानी। टीकमगढ़। भू.श। 2017। 3295

म.प्र. राजस्व मंडल
द्वारा भूमि
दि. 29/8/17

1. बनूवा तनय बल्दुआ काछी
 2. ननुवा बाई पत्नि जनकिया काछी
 3. जगदीश तनय जनकिया काछी
 4. किशन तनय जनकिया काछी
 5. परशुराम तनय जनकिया काछी
- सभी निवासियान ग्राम भानपुरा तहसील
खरगापुर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

....निगराकार

बनाम

1. काशीबाई पत्नि चन्ना काछी
 2. हजारी तनय चन्ना काछी
- सभी निवासियान ग्राम भानपुरा तहसील
खरगापुर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
3. शासन मध्यप्रदेश द्वारा कलेक्टर
टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....प्रति निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

निगरानी का कारण

-

दिनांक 26.06.2017

निगरानी प्रतिकूल प्रकरण कमांक-

74/अ-12/2016-17 आदेश दिनांक

26.06.2017

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी भूमि खसरा कमांक- 15/3, 4/2 रकवा 758, 0.217 हेक्टेयर जो निगरानी में विवादित भूमि है, प्रति निगराकारगण द्वारा भूमि का सीमांकन बंटवारा उपरांत 21 वर्ष बाद पुनः करवाया है, जिस पर तरमीम सहित मौका नक्शा में भारी फेरबदल किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

1. यह कि उक्त भूमि वादी/प्रतिवादी की पैतृक भूमि है, जिस पर काबिज होकर निगराकार, 20 वर्षों से अलग-अलग हिस्सों पर काबिज है, जिसका बंटवारा वर्ष 1994 में प्रकरण कमांक- 17/अ-27/1992-92 में पारित आदेश दिनांक 04.03.1994 में हो

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2017 / 3295

बनुवा आदि विरुद्ध काशीबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
२२-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 74/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26-06-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(जे0के0-जैन) सदस्य</p>	